म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद

(पूर्व – म.प्र. राज्य ओपन स्कूल)
स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन
शिवाजी नगर, भोपाल – 462011

Phone : 0755 - 2559943
Fax No. : 0755 - 2552106
Web Site : www.mpsos.nic.in
E-Mail : mpsos@rediffmail.com

क्रमांक/एस.ओ.एस.ई.बी./प्रवेश/2013/ 600-　　　　भोपाल, दिनांक 13/11/13

प्रति

श्री किशवर अली
25, मुरलीनगर, करोंद
बैरसिया रोड,
भोपाल (म.प्र.)

विषय :— आपके पंजयीन/रोल नम्बर 0604035063 प्रवेश/परीक्षा निरस्त करने हेतु कारण बताओं पत्र।

संदर्भ :— 01. इस कार्यालय का पत्र क्र./एस.ओ.एस./प्रवेश/2013/511, भोपाल दिनांक 01.10.2013
02 उप सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ.प्र इलाहाबाद का पत्र क्र. परिषद–9/587, दिनांक 25.10.2013

----00----

विषयांतर्गत संलग्न संदर्भित पत्रों का अवलोकन में अवगत हों कि आप 12 वीं की परीक्षा में बिना 10 वीं की अंकसूची लगाए ही प्रवेश लिए और परीक्षा दे दी। जब आपसे अपनी आर्हता सिंद्ध करने हेतु कक्षा 10 वीं (हाईस्कूल) की अंकसूची मांगी गई तो आपने परीक्षा देने के बाद उपलब्ध कराई। तब इस कार्यालय के पत्र दिनांक 01.10.2013 द्वारा प्रस्तुत अंकसूची के संस्थान को मान्यता नहीं होने के कारण आपको प्रस्तुत अंकसूची के संस्थान को मान्यता नहीं होने के कारण आपको उक्त संस्थान की मान्यता सिद्ध करने के अभिलेख प्रस्तुत करने को लिखा गया।

02. संदर्भित पत्र दिनांक 25.10.2013 (प्रति संलगन) द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तरप्रदेश ने लिखा है कि आप द्वारा उत्तीर्ण गुरूकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन उ.प्र. द्वारा संचालित अधिकारी/पंडित परीक्षा को म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद् भोपाल तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ.प्र. इलाहाबाद की हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष मान्य नहीं है।

03. उक्त परीक्षा को हमारी परिषद् से भी हाईस्कूल के बराबर समकक्षता प्राप्त नहीं है। मान्यता पुस्तिका 2004 क्र. 216 पेज नम्बर 20 पर टीप है कि "गुरूकुल यूनविर्सिटी वृन्दावन संस्कृत की अधिकारी परीक्षा पास छात्र मंडल की हाईस्कूल परीक्षा में केवल अंग्रेजी या हिन्दी/संस्कृत विषय लेकर बैठ सकते हैं" आपके द्वारा गुरूकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन लखनऊ उ.प्र. की कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण की अंकसूची के आधार पर म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद् की कक्षा 12 वीं में प्रवेश प्रारम्भ में बिना अंकसूची लगाए ही ले लिया गया था, जिसके कारण आप ने त्रुटिवश तथा इस बोर्ड को भ्रम में डालकर प्रवेश लिया और परीक्षा दें दी है।

04. गुरूकुल विश्वविद्यालय वृन्द्रावन उ.प्र. को मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण इस बोर्ड में आपके द्वारा कक्षा 12 वीं में लिया गया प्रवेश क्यों न निरस्त कर दिया जाए आप उक्त के संबंध में यदि अपना पक्ष रखना चाहते हों तो पत्र जारी होने से 21 दिवस के अंदर भेजें अथवा इस कार्यालय में उपस्थित होकर भी अपना पक्ष रख सकते है अन्यथा एक पक्षीय निर्णय लिया जाकर बिना आर्हता के भ्रम में डालकर लिया गया आपका प्रवेश एवं आप द्वारा दी गई परीक्षा दोनों ही निरस्त कर दी जावेंगी।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

Sd/-
(शत्रुंजय प्रताप सिंह बिसेन)
संचालक
म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद् भोपाल

पृ.क्रमांक / एस.ओ.एस.ई.बी. / प्रवेश / 2013 / 501 भोपाल, दिनांक 13/11/13

प्रतिलिपि :–

01. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी ....म.प्र. कृपया इस वर्ष प्रस्तुत प्रवेश फार्मों में उक्तानुसार परीक्षण करने का निर्देश प्राचार्यों को प्रदाय करें कि वे केवल एम.पी. बोर्ड या सी. बी.एस.ई. से मान्यता प्राप्त मंडलों की अंकसूचियों को ही मान्य करें।

02. समन्वयक प्राचार्य .... की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित छात्र को आप भी तामील कराकर पावती 21 दिवस में भेजें।

03. समस्त अध्ययन केन्द्र प्राचार्य शा.उ.मा.वि. ....इस वर्ष जो प्रवेश हेतु फार्म आपके कार्यालय में जमा हुए हैं, उनमें समिति से यह परीक्षण करा लें कि आवेदक ने पूर्व बोर्ड की जो अंकसूची संलगन की है वह माध्यमिक शिक्षा मंडल म.प्र. या कोबसे से मान्यता प्राप्त है। इन बोर्डों से मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची बेबसाइट से देखी जा सकती है ताकि भविष्य में गलत प्रवेश न हो सके।

04. श्रीमती अलका पाटणकर (पी.ए.टू. संचालक) गार्ड फाइल हेतु।

05. श्री मनीष मनहर, (कार्यालयीन) नेट पर अपलोड करने हेतु।

(शत्रुंजय प्रताप सिंह बिसेन)

संचालक

म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद् भोपाल